


मु0 न0:- 113/2025

तारीखरजू:- 06.08.2025

उनवान:- विजय बगै0 बनाम रमेश बगै0
दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम
5.08.2025	<p>वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 17.09.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (पूजा मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली </p>
17 ⁹ / ₂₅	<p>वादी वकील/वादीय पक्ष उपस्थित पीठस्थित और पत्रावली दिनांक... पत्रावली पत्रावली दिनांक... 17/09/25 को पेश हो।</p>
8 ¹⁰ / ₂₅	<p>पत्रावली बैर हुयी वही वकील उपदिष्ट। प्रतिवादी न. 1 अगस्त 14 को और ले श्री विजय भारती मीन एडवोकेट ने कानून नाम पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहा। वही अगस्त दिनांक 19.11.25 को पेश हो।</p>
04/11/25	<p>पत्रावली वही वकील के प्राप्ति पर दिनांक 04.11.25 ले तलब की गई। वही वकील ने इस बावत प्राथम्य पत्र पेश किया कि इस पत्रावली उक्त पत्रावली में आने मुकदमा नही बढ़ना चाहते है इस बावत प्राथम्य पत्र ने उपदिष्ट होकर अदालत पर हस्ताक्षर किये। एवं उक्त पत्रावली को नोट प्रेत में अदालत करने का निवेदन किया। वही वकील का प्राथम्य पत्र नोट प्रेत में अदालत किया जाता है। पत्रावली पेश अगस्त होकर नष्ट से कर कर प्राथम्य पत्र हो।</p>

Noted
